न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.) **म्यूटेशन अपील सं. : 08/2019**

अपीलान्ट –

1. लोकेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह
   जाति–राजपूत, निवासी–कसारी, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट –

1. केशर कवंर पत्नि हड़मानसिंह
   जाति–राजपूत, निवासी–कसारी, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत छाजोली पंचायत समिति जायल जिला–नागौर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 1 (नामान्तरकरण संख्या 75) दिनांक 09.01.2018

1. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका, अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उपस्थित।

दिनांक : 10/02/2021

– : : निर्णय : :–

नामान्तकरण अपील का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता नामान्तरकरण अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 के ग्राम पंचायत छाजोली पंचायत समिति जायल द्वारा दिनांक 09.01.2018 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 75 ग्राम कुवाड़खेड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 113 रकबा 6.18 बीघा के संबंध में पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व उनके बढेर का खेत खसरा नं. 113 रकबा 6.18 बीघा जो कि ग्राम कुवाड़खेड़ा तहसील–जायल में स्थित है। स्व. हड़मानसिंह के कोई जायन्दा पुत्र/पुत्री नहीं होने हड़मानसिंह द्वारा अपने भाई गंगासिंह के पुत्र नारायणसिंह को जरिये रजिस्टर्ड पंजीयन के गोद ले लिया। नारायणसिंह का स्वर्गवास हड़मानसिंह के जीवनकाल में ही हो जाने पर हड़मानसिंह अपीलान्ट के साथ ही रहते थे। नारायणसिंह के फौत होने पर उनके पीछे वारिसान में अपीलान्ट लोकेन्द्रसिंह,

10/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

पुत्री सुमन व पत्नि इन्दू राठौड़ है। स्व. हड़मानसिंह का स्वर्गवास दिनांक 21.10.2017 को हो जाने पर अपीलान्ट के बाबोसा फेतसिंह पुत्र गंगासिंह जाति–राजपूत निवासी–कसारी तहसील जायल ने ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलीभगत कर अपीलान्ट को नुक्सान पहुंचाने की नियत से स्व. हड़मानसिंह के पीछे उसकी पत्नि केशर कवंर का ही उतराधिकारी प्रमाण पत्र बनाकर केशरकवंर के नाम खसरा नं. 113 की खातेदारी दर्ज करा दी, जबकि स्व. हड़मानसिंह के पीछे गोदपुत्र नारायणसिंह (फौत होने पर) पत्नि इन्दूकंवर, पुत्र लोकेन्द्रसिंह, पुत्री सुमन राठौड़ हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 में प्रथम श्रेणी वर्ग सूची के उतराधिकारी होते हुये भी नामान्तरकरण जानबुझकर दर्ज नहीं किया गया। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 09.01.2018 मौजा कुवाड़खेड़ा तहसील जायल अवैध व शून्य होने से खारिज योग्य है। अपीलान्ट ग्राम पंचायत द्वारा गलत तरीके से स्व. हड़मानसिंह के उतराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने पर मात्र केशरकवंर के नाम से ही ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया उक्त नामान्तरकरण अवैध व शून्य होने से निरस्त कराने के अधिकारी है।

अतः अपीलार्थी के दादा स्व. हड़मानसिंह एवं पिता स्व. नारायणसिंह के फौत होने पर ग्राम कुवाड़खेड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 113 की खातेदारी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारीगण के रूप में अपीलान्ट लोकेन्द्रसिंह, पुत्री सुमन राठौड़ व पत्नि इन्दू राठौड़ ही है। इसके अलावा और कोई उतराधिकारीगण नही था। जिसके बावजूद रेस्पोडेन्ट ने उक्त नामान्तरण में अपीलार्थी गण के नाम नहीं भरा तथा रेस्पोडन्ट संख्या 1 केशरकवंर का नाम राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत रूप से नामान्तरकरण भर दिया। उक्त नामान्तरण भरे जाने व प्रस्ताव पारित किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। इस संबंध में अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त होते ही प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो प्राप्त होते ही अपील पेश की है। स्व. हड़मानसिंह स्वर्गवास के पश्चात प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारीगण में हड़मानसिंह की धर्म पत्नि केशरकवंर तथा

10/04/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

स्व. नारायणसिंह है तथा नारायणसिंह के पीछे विधिक उतराधिकारी अपीलान्ट लोकेन्द्रसिंह, नारायणसिंह की धर्मपत्नि इन्दू राठौड़, पुत्र सुमन राठौड़ होने से मात्र केशरकवरंर के नाम भरा गया नामान्तकरण संख्या 75 दिनांक 09.01.18 खारिज किये जाने तथा ग्राम कुवाड़खेड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 113 की खातेदारी में अपीलान्ट, इन्दू राठौड़ व सुमन राठौड़ का नाम नामान्तरकरण में भरे जाने संबंधी आदेश प्रदान करावे।

अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्न तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत छाजोली, पंचायत समिति जायल से नामान्तकरण अपील के संबंध बैठक कार्यवाही रजिस्टर तलब हेतु तहरीर जारी की गई। रेस्पोडेन्ट का सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. के भिजवाने पर उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नामान्तरकरण अपील के संबंध में किसी प्रकार जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अवसर बंद किया गया तथा वकील अपीलान्ट के निवेदन पर हस्तगत नामान्तरकरण अपील बहस अन्तिम से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराया और अपील नामान्तरकरण की जानकारी प्राप्त होने पर धारा 05 परिसीमा अधिनियम के तहत छूट के प्रावधान के तहत पेश की है। प्रार्थना पत्र एवं नामान्तरकरण अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण अपील हस्तगत प्रकरण में म्याद अधिनियम की धारा 05 के तहत छूट के बिन्दु की पूर्ति कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमा स्वीकार किया जाता है। मिसल वास्ते नामान्तरकरण अपील बहस अन्तिम हेतु नियत की गई।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट व उनके बढेर का खेत खसरा नं. 113 रकबा 6.18 बीघा जो कि ग्राम कुवाड़खेड़ा तहसील–जायल में स्थित है। स्व. हड़मानसिंह के कोई जायन्दा पुत्र/पुत्री

10/07/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

नहीं होने हड़मानसिंह द्वारा अपने भाई गंगासिंह के पुत्र नारायणसिंह को जरिये रजिस्टर्ड पंजीयन के गोद ले लिया। नारायणसिंह का स्वर्गवास हड़मानसिंह के जीवनकाल में ही हो जाने पर हड़मानसिंह अपीलान्ट के साथ ही रहते थे। नारायणसिंह के फौत होने पर उनके पीछे वारिसान में अपीलान्ट लोकेन्द्रसिंह, पुत्री सुमन व पत्नि इन्दू राठौड़ है। स्व. हड़मानसिंह का स्वर्गवास दिनांक 21.10.2017 को हो जाने पर अपीलान्ट के बाबोसा फेतसिंह पुत्र गंगासिंह जाति–राजपूत निवासी–कसारी तहसील जायल ने ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलीभगत कर अपीलान्ट को नुक्सान पहुंचाने की नियत से स्व. हड़मानसिंह के पीछे उसकी पत्नि केशर कवंर का ही उतराधिकारी प्रमाण पत्र बनाकर केशरकवंर के नाम खसरा नं. 113 की खातेदारी दर्ज करा दी, जबकि स्व. हड़मानसिंह के पीछे गोदपुत्र नारायणसिंह (फौत होने पर) पत्नि इन्दूकंवर, पुत्र लोकेन्द्रसिंह, पुत्री सुमन राठौड़ हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 में प्रथम श्रेणी वर्ग सूची के उतराधिकारी होते हुये भी नामान्तरकरण जानबुझकर दर्ज नहीं किया गया। अपीलार्थी के दादा स्व. हड़मानसिंह एवं पिता स्व. नारायणसिंह के फौत होने पर ग्राम कुवाड़खेड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 113 की खातेदारी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारीगण के रूप में अपीलान्ट लोकेन्द्रसिंह, पुत्री सुमन राठौड़ व पत्नि इन्दू राठौड़ ही है। इसके अलावा और कोई उतराधिकारीगण नही था। जिसके बावजूद रेस्पोडेन्ट ने उक्त नामान्तरण में अपीलार्थी गण के नाम नहीं भरा तथा रेस्पोडन्ट संख्या 1 केशरकवंर का नाम राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत रूप से नामान्तरकरण भर दिया। उक्त नामान्तकरण भरे जाने व प्रस्ताव पारित किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। इस संबंध में अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त होते ही प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो प्राप्त होते ही अपील पेश की है। स्व. हड़मानसिंह स्वर्गवास के पश्चात प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारीगण में हड़मानसिंह की धर्म पत्नि केशरकवंर तथा स्व. नारायणसिंह है तथा नारायणसिंह के पीछे विधिक उतराधिकारी अपीलान्ट लोकेन्द्रसिंह, नारायणसिंह की धर्मपत्नि इन्दू राठौड़,

10/07/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

पुत्र सुमन राठौड़ होने से मात्र केशरकवरंर के नाम भरा गया नामान्तकरण संख्या 75 दिनांक 09.01.18 खारिज किये जाने तथा ग्राम कुवाड़खेड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 113 की खातेदारी में अपीलान्ट, इन्दू राठौड़ व सुमन राठौड़ का नाम नामान्तरकरण में भरे जाने संबंधी आदेश प्रदान करने क निवेदन वकील अपीलान्ट ने किया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया जिससे पाया कि स्व. हड़मानसिंह की मृत्यु दिनांक 21.10.2017 को हो जाने के उपरान्त फौतगी नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 09.01.2018 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण को गलत व अवैध होने से खारिज किये जाने बाबत् उक्त नामान्तकरण अपील जानकारी के अभाव में निर्धारित समयावधि में पेश नहीं की जाने की समपुष्टि पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम की धारा 5 से होती है तथा अपील म्याद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु की पूर्ति भी कर रहा है।

दौराने बहस अधिवक्ता वकील अपीलार्थी ने बहस में ग्राम पंचायत छाजोली पंचायत समिति जायल द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 09.01.2018 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 75 के संबंध में ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 09.01.2018 में प्रस्ताव संख्या 1 का मूल से मिलान किया जिससे नामान्तकरण संख्या 75 की ताईद हुई। दिनांक 21.10.2017 को स्व. हड़मानसिंह के फौत होने पर उसकी चल व अचल सम्पति की उतराधिकारी केशर कवंर पत्नि हड़मानसिंह के नाम नामान्तकरण संख्या 75 दिनांक 09.01.2018 प्रस्ताव संख्या 01 स्वीकृत किये जाने का विवरण अंकित है।

इसी प्रकार स्व. नारायणसिंह जो कि हड़मानसिंह का रजिस्टर्ड गोदपुत्र था जिनकी मृत्यु स्व. हड़मान से पूर्व दिनांक 25.06.2003 हो गई। वकील अपीलार्थी के कथनानुसार स्व. नारायणसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 केशरकवंर स्व. हड़मानसिंह के विधिक व प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है। परन्तु स्व.

10/07/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

नारायणसिंह की मृत्यु स्व. हड़मानसिंह से पूर्व हो जाने पर गोदपुत्र स्व. नारायणसिंह व पत्नि केशरकवंर के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये था। सक्षम न्यायालय में नामान्तरकरण अपील प्रक्रियागत गलती या सजरा खानदान में विधिक वारिसान का नाम छूट जाता है तो नामान्तकरण अपील प्रस्तुत किये जाने का भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रावधान है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अनूसची वर्ग–1 में पत्नि, पुत्र, पुत्रिया, वारिसान होते है जो कि हस्तगत अपील में स्व. हड़मानसिंह के फौत होने पर पत्नि केशरदेवी, तथा रजिस्टर्ड गोदनामा के दतकपुत्र स्व. नारायणसिंह के विधिक उतराधिकारी क्रमशः इन्दु राठौड़ पत्नि स्व. नारायणसिंह, लोकेन्द्रसिंह पुत्र स्व. नारायणसिंह व सुमन राठौड़ पुत्र स्व. नारायणसिंह है। फौतगी नामान्तकरण में स्व. हड़मानसिंह के उक्त विधिक वारिसान का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था जो कि अनसूची वर्ग 1 के अनुसार नामान्तकरण में दर्ज नहीं किये गये है एवं सही किये जाने योग्य तथा आवश्यक है।

हस्तगत अपील में वकील रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार कि प्रकरण हाजा से संबंधित ग्राम छाजोली तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 113 की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ–2 स्व. नारायणसिंह (गोदपुत्र स्व. हड़मानसिंह) के विधिक वारिसान अर्थात अपीलार्थी लोकेन्द्रसिंह, इन्दु राठौड़, सुमन राठौड़ का तो जन्म से ही पुश्तैनी भूमि में अधिकार है। नामान्तरकरण एक Fiscal Proceeding है। जिसमें विधिक वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, न कि नवीन घोषणा की जाती है।

पत्रावली में वकुलाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, ग्राम पंचायत के मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण अपील में ग्राम पंचायत छाजोली द्वारा नामान्तकरण संख्या 75 में स्व. हड़मानसिंह के फौत होने पर पत्नि केशरकवंर के साथ उसके गोदपुत्र स्व. नारायण के विधिक वारिसान दर्ज नहीं किया जाना गलत है।

10/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

यत् अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील नामान्तरकरण संख्या 75 प्रक्रियागत खामी तथा विधिक वारिसान अनुसार नहीं होने के कारण निरस्त योग्य तथा स्व. हड़मानसिंह व स्व. नारायणसिंह के विधिक वारिसान में केशरकवंर पत्नि स्व. हड़मानसिंह, इन्दु राठौड़ पत्नि स्व. नारायणसिंह, लोकेन्द्र पुत्र स्व. नारायणसिंह व सुमन राठौड पुत्री स्व. नारायणसिंह का नाम संयोजित जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : :–

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 09.01.2018 ग्राम पंचायत छाजोली प्रक्रियागत खामी एवं विधिक वारिसान के अनुसार सही नहीं होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि ग्राम छाजोली तहसील जायल के खसरा नं. 113 में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के वर्ग अनुसूची –1 के विधिक वारिसान में स्व. हड़मानसिंह व स्व. नारायणसिंह के विधिक वारिसान में केशरकवंर पत्नि स्व. हड़मानसिंह के साथ अपीलार्थी लोकेन्द्र पुत्र स्व. नारायणसिंह इन्दु राठौड़ पत्नि स्व. नारायणसिंह, व सुमन राठौड पुत्री स्व. नारायणसिंह साथ दर्ज किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 10/02/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय सुनाया गया।

10/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल